5

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 130-तीन/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 11-12-2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा - प्रकरण कमांक 245/2005-06 निगरानी

मिथिलाप्रसाद तनय रामाश्रय प्रसाद
ग्राम कटकी तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती रामकली पांडेय पत्नि रामनरेश पुत्री
रामसलोने ग्राम कटकी तहसील सिरमौर
2- महिला लीलावती पत्नि स्व. रामाश्रय प्रसाद
3- रामसुख पतनय राम आश्रय प्रसाद
4- सुशीला पुत्री रामाश्रय प्रसाद पत्नि शिवप्रसाद
ग्राम मटीमा जिला सतना मध्य प्रदेश
5- कोशिल्या पुत्री पुत्री रामाश्रय प्रसाद पत्नि राजभान गर्ग
ग्राम बम्होरी तहसील व जिला सतना
6- राजकुमारी पुत्री रामाश्रय प्रसाद पत्नि रावेन्द्र गर्ग
ग्राम बम्होरी तहसील व जिला सतना
7- शॉति पुत्री रामाश्रय प्रसाद पत्नि रामलाल द्विवेदी
ग्राम उचेहरा तहसील व जिला सतना
8- रामलली पुत्री रामाश्रय प्रसाद पत्नि सुरेन्द्र प्रसाद
ग्राम चिल्ला जैतवारा जिला सतना म0प्र0
9- अनिलकुमार तनय छोटेलाल द्विवेदी ग्राम जुड़मनिया
तहसील हुजूर जिला रीवा हाल मुकाम कटकी
तहसील सिरमौर जिला रीवा मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बी0एस0धाकड़)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 1 - 08-2018 को पारित)

यह निगरानी **अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण कमांक 245/2005-06 निगरानी** में पारित आदेश दिनांक 11-12-06 के विरूद्ध मध्य

प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दान बसीयत के आधार पर ग्राम कटकी की कुल किता 5 कुल रकबा 6-37 एकड़ पर नामान्तरण की मांग की, जिस पर नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सिरमौर ने प्रकरण कमांक 18 अ-6/2001-02 पॅजीबद्ध किया तथा सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराई। नायव तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक 2-11-2002 पारित किया तथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 403/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-8-2004 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। **अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 245/2005-06 निगरानी** में पारित आदेश दिनांक 11-12-06 से निगरानी निरस्त कर दी। **अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।**

3/ **निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं ।**

4/ **आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि** व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के आवेदन में कहा गया है कि पक्षकारों के बीच कोई स्वत्व का विवाद नहीं है जबकि आदेश 7 नियम 11 जी.दी. के प्रावधान स्वत्व से संबंधित नहीं है बल्कि उक्त प्रावधान न्यायालय की अधिकारिता एंव प्रकरण की प्रचलनशीलता से संबंधित है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त संदर्भ में विधि की गलत व्याख्या करके त्रृटिपूर्ण निर्णय लिया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावें।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 9-8-04 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश में विवेचित किया है कि निगरानीकर्ता मात्र परेशान करने की गरज से उक्त निगरानी कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई के पश्चात् आवेदन पत्र निरस्त किया है।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण कमांक 245/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-12-06 के अवलोकन पर भी यही स्थिति है , उन्होंने आदेश दिनांक 11-12-06 में विवेचना की है कि आवेदक के व्दारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार ने विधिवत् उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् आदेश पारित, किया है जिसमें माना गया है कि कोई स्वत्व का प्रश्न निहित नहीं है वह उचित है जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर ने भी की है। पाया गया कि नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सिरमौर के अंतरिम आदेश दिनांक 2-11-2002 में निकाले गये निष्कर्ष , अपर कलेक्टर रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 9-8-2004 में निकाले गये निष्कर्ष तथा **अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा व्दारा** आदेश दिनांक 11-12-06 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा **प्रकरण कमांक 245/2005-06 निगरानी** में पारित आदेश दिनांक 11-12-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर